न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 33/2018 एल.आर. एक्ट

1. राजपाल पुत्र ईश्वरसिंह
2. अजयपाल पुत्र दीपचन्द
3. सीताराम पुत्र उदयसिंह

जाति जाट निवासी लसेड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. बलवीरसिंह पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी लसेड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः
1. श्री संतनाथ योगी – अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री द्वारकादास. पारीक – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं.1
3. श्री सुभाष सहू – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 13–09–2019**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला चूरू के निर्णय दिनांक 27–12–2017 के विरूद्ध पेश की गई है जिसका सार यह है किः–

बलवीरसिंह द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ के समक्ष भू राजस्व अधिनियम की धारा 111, 128 के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके अनुसार उसकी खातेदारी भूमि ख.नं. 263 रकबा 0.18 हैक्टेयर रोही ग्राम लसेड़ी तहसील राजगढ की पैमाईश की जाकर पत्थर गढी करवाने का अनुतोष मांगा गया। परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेंट्स के उक्त प्रार्थना पत्र के आधार ख.नं. 263 का सीमा ज्ञान करवाकर पत्थरगढी के आदेश तहसीलदार राजगढ को दिये गये।

अपीलांट का कथन है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि के चिपते काश्तकारों को पक्षकार बनाये बिना एक तरफा आदेश हासिल किया गया है।

2. अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश कर करीब तीन माह विलम्ब से अपील पेश करने के कारण स्पष्ट किये एवं विलम्ब का शमन करने का अनुरोध किया गया तथा सी.पी.सी की धारा 96 के तहत प्रभावित पक्षकार के रूप में अपील पेश करने की इजाजत मांगी।

3. सर्वप्रथम मियाद अधिनियम की दरख्वास्त पर बहस सुनी गई। अपीलांट्स परीक्षण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे। स्वाभाविक तौर पर उन्हें अपीलाधीन आदेश की

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जानकारी विलम्ब से मिली होगी। अतः उक्त दरख्वास्त स्वीकार की जाकर विलम्ब का शमन किया गया।

4. सी.पी.सी. की धारा 96 के तहत प्रभावित पक्ष के रूप में अपील पेश करने की हैसियत के प्रश्न पर विचार किया गया। रेस्पोडेंट बलवीरसिंह ग्राम लसेड़ी के ख.नं. 263 रकबा 0.18 हैक्टेयर का रिकार्डड खातेदार है, जबकि अपीलांट्स ने अपने कब्जेशुद्वा भूमि के स्वामित्व के स्त्रोत के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। अपीलांट्स रेस्पोडेंट बलवीरसिंह की भूमि के पड़ोस में आवास बनाकर अपने आपको काबिज होना बता रहे है, परन्तु उन्होनें स्पष्ट नहीं किया है कि बलवीरसिंह द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमा ज्ञान करवाने से वे किस आधार पर प्रभावित हो रहे है। अपीलांट्स को यदि सीमा ज्ञान से आपत्ति है तो तहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष रख सकते है तथा अपनी स्वयं की भूमि का भी सीमा ज्ञान या पत्थर गढ़ी करवाने के लिये आवेदन कर सकते है। अपीलांट्स ने मात्र संभावनाओं के आधार पर अपील पेश की है तथा अपीलाधीन आदेश से प्रभावित होने का ठोस आधार नहीं बता पाये है।

अतः अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाता है तथा अपील सारहीन पाये जाने पर अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13–09–2019 को सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर